

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

35

क्रमांक: BR/ LR/ NLRMP/ F-122/ Phase-2/ 287-316

दिनांक:- 28/4/16

जिला कलक्टर,
समस्त।
(टोंक, भीलवाडा एवं झालावाड को छोड़कर)

विषय :- डिजीटाइजेशन ऑफ कैंडस्ट्रल मैप कार्य हेतु राजस्व ग्रामों के नक्शों की शीटे उपलब्ध करवाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत डिजीटाइजेशन ऑफ कैंडस्ट्रल मैप का कार्य करवाए जाने हेतु आपके जिले से संबंधित फर्म को कार्यादेश दिनांक 25.02.2016 को जारी किया जा चुका है जिसकी प्रति आपको भिजवाई जा चुकी है। डिजीटाइजेशन ऑफ कैंडस्ट्रल मैप कार्य हेतु वर्कस्टेशन के लिए फर्म को स्थान उपलब्ध करवाने हेतु मण्डल से पूर्व में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अतः आपके द्वारा डिजीटाइजेशन ऑफ कैंडस्ट्रल मैप कार्य हेतु :-

1. फर्म को वर्कस्टेशन हेतु स्थान उपलब्ध करवाया जा चुका होगा व QC टीम का गठन किया जा चुका होगा इस संबंध में यदि कार्यवाही शेष है तो शीघ्र कार्यवाही कर मण्डल को अवगत करावे।
2. आपके द्वारा भू-प्रबन्ध विभाग से प्राप्त शीटे डिजीटाइजेशन कार्य हेतु फर्म को उपलब्ध करवा दी गई होगी। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 16.03.2016 की बैठक में निर्देशित किया गया था, कि जिन गांवों की शीटे उपलब्ध नहीं है उनका सूचना म्य तलाशने के विवरण सहित मण्डल को भिजवाए, जिसकी सूचना आपके द्वारा आदिनांक नहीं भिजवाई गई है अतः ऐसे गांवों की संख्या जिनके नक्शे उपलब्ध नहीं है की सूचना शून्य मानी जावेगी।
3. गांवों के नक्शे यदि जीर्ण-शीर्ण है तो नक्शे की कार्यालय प्रति जो यही अवस्था में हो डिजीटाइजेशन हेतु फर्म को उपलब्ध करावे, अन्यथा जीर्ण-शीर्ण नक्शों से डिजीटाइजेशन कार्य शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त नहीं होगा। नक्शों के जीर्ण-शीर्ण होने की स्थिति में भू-प्रबन्ध विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करावे।

भवदीय

(सी0आ0मीना)

निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान

अजमेर

दिनांक :- 28/4/16

क्रमांक :- राम/सम/ 317-319

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय जयपुर।
2. सयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी, DILRMP (NLRMP), भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर।

(सी0आर0मीना)

निबंधक,

राजस्व मण्डल राजस्थान

अजमेर